



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
व्यवस्थापन "ग" वर्ग

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-[eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in)

पत्रांक:- 473/32 व्यग(मु0प्र0अ0)-अधि0-उ0/18


दिनांक- 09/06/2018।

**::कार्यालय-ज्ञापः:**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण 2017 (सं0-01 वर्ष 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में निम्न मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

क्रम सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1-	श्री चन्द्र बल्लभ पुरोहित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर	नि0ख0 लक्सर	17 (1) ग


- सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- सम्बन्धित अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकार को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

  
(सत्येन्द्र शर्मा)

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय, लो0नि0वि0 देहरादून के संज्ञानार्थ।
- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून/टिहरी।
- अधीक्षण अभियन्ता, 8वां/09वां वृत्त, लो0नि0वि0, टिहरी/देहरादून।
- अधिशारी अभियन्ता, निर्माण/अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, लक्सर/श्रीनगर मु0-कीर्तिनगर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लक्सर/कीर्तिनगर।
- आई0टी0 हेड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून को विभागीय वेब-साईट में अपलोड किये जाने हेतु।
- श्री चन्द्र बल्लभ पुरोहित, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, अ0ख0, लो0नि0वि0, श्रीनगर मु0-कीर्तिनगर।
- गार्ड पत्रावली।

  
9.6.18  
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)  
29/6/18



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

व्यवस्थापन "ग" वर्ग

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-[eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in)

पत्रांक:-474/32 व्यग(मु0प्र0अ0)-अधि0-उ0/18


दिनांक-09/06/2018।

**::कार्यालय-ज्ञापः**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण 2017 (सं0-01 वर्ष 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में निम्न मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-


क्रम सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1-	श्री गबरी लाल मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	अ0ख0 गौचर	नि0ख0 अल्मोड़ा	17 (1) ग

1. सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
2. सम्बन्धित अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकार को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
4. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

  
(सत्येन्द्र शर्मा)  
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय, लो0नि0वि0 देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0 पौड़ी/अल्मोड़ा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम/07वां वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा/गोपेश्वर।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा/गौचर।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/गौचर।
6. आई0टी0 हेड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून को विभागीय वेब-साईट में अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्री गबरी लाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, अ0ख0, लो0नि0वि0, गौचर।
8. गार्ड पत्रावली।

  
9.6.18  
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)  
24/6/18





Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
व्यवस्थापन "ग" वर्ग

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-eicpwwd@nic.in

पत्रांक:- 4757/32 व्यग(मु0प्र0अ0)-अधि0-उ0/18

दिनांक-09/06/2018।

::कार्यालय-ज्ञापः

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण 2017 (सं0-01 वर्ष 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में निम्न मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को निजीहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

क्रम सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1-	श्री उमेश चन्द्र हिन्दवाण मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	नि0ख0 पौड़ी	अ0ख0 ऋषिकेश	17 (1) ख (5)

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- सम्बन्धित अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकार को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

20/1-  
(सत्येन्द्र शर्मा)  
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय, लो0नि0वि0 देहरादून के संज्ञानार्थ।
- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0 पौड़ी/देहरादून।
- अधीक्षण अभियन्ता, 09/12वां वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून/पौड़ी।
- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, पौड़ी/ऋषिकेश।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी/ऋषिकेश।
- आई0टी0 हेड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून को विभागीय वेब-साईट में अपलोड किये जाने हेतु।
- श्री उमेश चन्द्र हिन्दवाण, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, नि0ख0, लो0नि0वि0, पौड़ी।
- गार्ड पत्रावली।

20/1-  
9.6.18  
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)  
20/1-18